

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जा

18.3.21

पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित नहीं हुए।
न्यायालय से उबार आवाजे लगवायी गई।
इसके बाद भी बार-बार आवाजे लगवायी
गई। लेकिन शर्मा या वकील शर्मा कोर्ट
न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः
पत्रावली अदम टाजरी अदम पेश्वी में
खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से
कम की जाकर बाद तर्कमूलक दारिखल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी

नैन्बाँ (बून्दी)

